

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 46/2022

अनवान

1. नारायण लाल पुत्र श्री रूपा अहीर निवासी औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. श्रीमती बदाम देवी पत्नी श्री रूपा अहीर निवासी औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. श्रतन लाल पुत्र श्री रूपा अहीर निवासी औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. रामेश्वर लाल पुत्र श्री रूपा अहीर निवासी औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामा पुत्र श्री देवा अहीर निवासी औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. परशू पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. रतन पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. शंकर पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. श्रीमती सोसार पत्नि श्री छोगा अहीर निवासी औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. भंवर पुत्र श्री नारू अहीर निवासी समतपुरिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 10.05.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 330 की कृषि भूमि की आ0न0 1158 रकबा 0.1770 है0, आ0न0 1161 रकबा 0.1454 है0, आ0न0 179 रकबा 0.5817 है0, आ0न0 2452/328 रकबा रकबा 0.1834 है0, आ0न0 327/1 रकबा 0.0253 है0, आ0न0 328/4 रकबा 0.0190 है0, आ0न0 329 रकबा 0.4552 है0, आ0न0 329/1 रकबा 0.4046 है0, आ0न0 330 रकबा 0.1265 है0, आ0न0 706 रकबा 0.1265 है0, आ0न0 707/1 रकबा 0.1581 है0 कुल कित्ता 11 रकबा 2.4027 है0 वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय पड़ोसी हैं प्रार्थी एवं विपक्षीय के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.04.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 330 की कृषि भूमि की आ0न0 1158 रकबा 0.1770 है0, आ0न0 1161 रकबा 0.1454 है0, आ0न0 179 रकबा 0.5817 है0, आ0न0 2452/328 रकबा रकबा 0.1834 है0, आ0न0 327/1 रकबा 0.0253 है0, आ0न0 328/4 रकबा 0.0190 है0, आ0न0 329 रकबा 0.4552 है0, आ0न0 329/1 रकबा 0.4046 है0, आ0न0 330 रकबा 0.1265 है0, आ0न0 706 रकबा 0.1265 है0, आ0न0 707/1 रकबा 0.1581 है0 कुल कित्ता 11 रकबा 2.4027 है0

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ, जिला-भीलवाडा

